भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1262**
उत्तर देने की तारीख 27.07.2026

**पश्चिमी ओडिशा की लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का संवर्धन**

**1262. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक रंगमंच के संवर्धन और विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बोलंगीर के कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को सरकार से कोई अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर संबलपुरी और पश्चिमी ओडिशा की अन्य लोक परंपराओं के संवर्धन के लिए समर्पित कार्यक्रम स्थापित करने का विचार है; और

(घ) बोलंगीर के ग्रामीण कलाकारों की केंद्र सरकार की योजनाओं और सांस्कृतिक उत्सवों तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय 'कला संस्कृति विकास योजना' (केएसवीवाई) नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के कई घटक हैं जिनके तहत ओडिशा में लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक रंगमंच सहित विभिन्न कला रूपों, संगीत, नृत्य, रंगमंच और साहित्य को बढ़ावा देने हेतु इन क्षेत्रों में कार्यरत पात्र कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि केएसवीवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए

जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत ओडिशा राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग): वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर संबलपुरी और पश्चिमी ओडिशा की अन्य लोक परंपराओं के संवर्धन के लिए समर्पित कार्यक्रम स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): चूंकि, केएसवीवाई कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए कोई जिला/क्षेत्र वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, संस्कृति मंत्रालय अपनी स्कीमों की पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें ग्रामीण और वंचित समुदायों तक अपनी स्कीमों को पहुंचाना भी शामिल है। इस संबंध में स्कीम के दिशानिर्देश और आवेदन पत्र मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, समाचार पत्रों में विज्ञापनों, मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ संबंधित नोडल एजेंसियों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया जाता है।

**अनुलग्नक – I**

**'पश्चिमी ओडिशा की लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का संवर्धन' के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1262 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**(लाख रुपए में)**

| ओडिशा | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **स्कीम/घटक का नाम** | **2021-22** | | **2022-23** | | **2023-24** | | **2024-25** | | **2025-26** | |
| | **लाभार्थियों की संख्या** | **जारी की गई राशि** | **लाभार्थियों की संख्या** | **जारी की गई राशि** | **लाभार्थियों की संख्या** | **जारी की गई राशि** | **लाभार्थियों की संख्या** | **जारी की गई राशि** | **लाभार्थियों की संख्या** | **जारी की गई राशि** |
| विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | 75 | 22.50 | 25 | 7.50 | 97 | 29.10 | 71 | 21.60 | 141 | 42.90 |
| संस्कृति के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना | 108 | 171.40 | 89 | 129.60 | 90 | 93.60 | 83 | 105.60 | 167 | 225.60 |
| वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम | 828 | 276.95 | 966 | 306.77 | 1460 | 1063.40 | 1995 | 1106.51 | 2164 | 1627.37 |
| गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान) | 27 | 152.16 | 55 | 289.20 | 115 | 515.29 | 67 | 343.87 | 215 | 1164.14 |
| सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) | 149 | 182.99 | 180 | 296.88 | 168 | 269.71 | 179 | 482.92 | 129 | 259.99 |
| राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.75 | 2 | 37.50 | 3 | 45.00 |
| स्टूडियो थिएटर सहित निर्माण अनुदान के लिए वित्तीय सहायता | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.50 | 2 | 3.10 |
| बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 2 | 12.00 | 2 | 11.00 | 1 | 2.50 |

*****